

निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।

पत्रांक: /नि०हो०/628/2024-25,

दिनांक: 27 अगस्त, 2024

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या-1/229265/XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 31 जुलाई, 2024 में निहित प्राविधानों तथा सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 16.08.2024 को आहूत बैठक के कार्यवृत्त संख्या-4188-94 दिनांक 20 अगस्त, 2024 के अनुपालन में निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-603/नि०हो०/628/2024-25, दिनांक 21 अगस्त, 2024 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० दीप्ती वर्मा	रा०हो०चि०, जिला चि०, नैनीताल।	रा०हो०चि०, बदियाकोट, बागेश्वर।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।	जनहित

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह सितम्बर, 2024 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

पत्रांक: 632/नि०हो०/628/2024-25, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, नैनीताल।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।